

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 111/2011

उनवान

1. छोटू पुत्र बोदू
2. मिश्री पुत्र बोदू
3. होनी पत्नी दूदा पुत्रवधु बोदू (फौत)
4. सुखदेव पुत्र दूदा पौत्र बोदू
5. बदामी पुत्री दूदा पौत्री बोदू
6. ग्यारसी पुत्री परसा पौत्री बोदू
7. रतनी पुत्री परसा पौत्री बोदू
8. मीरा पुत्री परसा पौत्री बोदू
9. रेशमा पुत्र परसा पौत्र बोदू
10. पप्पू पुत्र परसा पौत्र बोदू
11. कंवरी पत्नी भागचन्द पुत्रवधु परसा पडपौत्रवधु बोदू
12. टोनू पुत्र भागचन्द पौत्र परसा पडपौत्र बोदू ना.बा. जरियें वली माता कंवरी पत्नी भागचन्द, समस्त जाति रावत निवासी ग्राम हाथीपट्टा, नसीराबाद

— वादीगण :- जरियें अधिवक्ता श्री नोरतमल जेन


बनाम

1. कैलाश पुत्र गबरू पौत्र लखमा उर्फ लक्ष्मीचन्द उर्फ लक्ष्मण जाति सिलावट कुमावत नि० श्रीनगर हाल नि० बंद का दरवाजा हबहारी पोल किशनगढ
2. भागचन्द पुत्र गबरू पौत्र लखमा उर्फ लक्ष्मीचन्द उर्फ लक्ष्मण (फौत)
2/1. गुलाब देवी पत्नी भागचन्द
2/2. मनदीप पुत्र भागचन्द ना.बा. जरियें वली माता गुलाबदेवी पत्नी भागचन्द
2/3. भारती पुत्री भागचन्द ना.बा. जरियें वली माता गुलाबदेवी पत्नी भागचन्द
2/4. सीमा पुत्री भागचन्द ना.बा. जरियें वली माता गुलाबदेवी पत्नी भागचन्द समस्त जाति सिलावट कुमावत नि० श्रीनगर हाल नि० बंद का दरवाजा बिहारी पोल किशनगढ
3. मदनलाल पुत्र बिहारीलाल पौत्र लखमा उर्फ लक्ष्मीचन्द उर्फ लक्ष्मण जाति सिलावट कुमावत नि० संध्यानन्द आश्रम नेहरू नगर, अजमेर।
4. सोहन पुत्र दाना (फौत)
4/1. ख्रूमा पत्नी सोहन
4/2. पांचू पुत्र सोहन
4/3. महावीर पुत्र सोहन



उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

- 4/4. पप्पू पुत्र सोहन समस्त रावत नि० हाथीपट्टा, नसीराबाद
- 4/5. माया पुत्री सोहन पत्नी धारू जाति रावत नि० बोराज, अजमेर
- 4/6. पार्वती पुत्री सोहन पत्नी कालू रावत नि० हाथरपट्टा
- 4/7. राधा पुत्री सोहन पत्नी बबलू रावत नि० फारकिया
5. लादू उर्फ लाडू पुत्र दाना रावत नि० हाथीपट्टा, नसीराबाद (फौत)
- 5/1. गांधी पत्नी लादू उर्फ लाडू
- 5/2. गोपाल पुत्र लादू उर्फ लाडू
- 5/3. मुकेश पुत्र लादू उर्फ लाडू
- 5/4. भंवरी पुत्री लादू उर्फ लाडू
- 5/5. धनवन्ती पुत्री लादू उर्फ लाडू
- 5/6. रामप्यारी पुत्री लादू उर्फ लाडू
- 5/7. पांची पुत्री लादू उर्फ लाडू
- 5/8. सोनी पुत्री लादू उर्फ लाडू समस्त जाति रावत नि० हाथीपट्टा
6. हीरी पत्नी माना, (तर्क)
7. गोरधन पुत्र माना
8. भैरू पुत्र बालू
9. भागचन्द पुत्र बालू
10. विजय सिंह पुत्र बालू समस्त जाति रावत निवासी ग्राम हाथीपट्टा, नसीराबाद
11. कमला पत्नी नेतीचन्द पुत्री बालू जाति रावत नि० तिलोरा, तहसील पुष्कर
12. मोहनी पत्नी बाबू उर्फ हाथी पुत्री बालू जाति रावत नि० श्रीनगर, नसीराबाद
13. गोरी पत्नी विष्णु पुत्री बालू जाति रावत नि० कानाखेडी, नसीराबाद
14. छोटी पत्नी शंकर पुत्री बालू जाति रावत नि० लोरा का बाडिया बडल्या, अजमेर
15. मेथी पत्नी मंगला रावत (तर्क)
16. नारायण पुत्र मंगला समस्त जाति रावत नि० हाथीपट्टा, नसीराबाद
17. रतनी पत्नी प्रताप पुत्री मंगला जाति रावत नि० श्रीनगर, नसीराबाद
18. मीरा पत्नी जयसिंह पुत्री मंगला जाति रावत नि० कानाखेडी, नसीराबाद
19. बीरम पुत्र पांचू रावत नि० हाथीपट्टा, नसीराबाद
20. रामकरण पुत्र पांचू रावत नि० हाथीपट्टा, नसीराबाद
21. नानू पुत्र पांचू रावत नि० हाथीपट्टा, नसीराबाद
22. हरचन्द पुत्र पांचू रावत नि० हाथीपट्टा, नसीराबाद
23. फूली पत्नी अमरचन्द पुत्रवधु पांचू रावत नि० हाथीपट्टा, नसीराबाद
24. दिनेश पुत्र अमरचन्द रावत ना.बा. जरियें माता फूली पत्नी अमरचन्द नि० हाथीपट्टा, नसीराबाद
25. गणेश पुत्र अमरचन्द रावत ना.बा. जरियें माता फूली पत्नी अमरचन्द नि० हाथीपट्टा, नसीराबाद




 उपखण्ड अधिकारी
 नसीराबाद (अजमेर)

26. मैना पुत्री अमरचन्द रावत ना.बा. जरिये माता फूली पत्नी अमरचन्द नि० हाथीपट्टा,
नसीराबाद
27. ग्याना पुत्री अमरचन्द रावत नि० हाथीपट्टा, नसीराबाद
28. उप पंजीयक नसीराबाद
29. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

— प्रतिवादीगण :- 28 व 29 जरिये राज० पैरोकार
शेष अनुस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91, 188, 92 ए राज० काश्त० अधि० 1955

—: निर्णय :-

दिनांक :- 13.5.24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम श्रीनगर में
वादीगण की कयशुदा/खातेदारी/काश्तकारी की आराजी का विवरण निम्न प्रकार है :-

चौसाला ख०न०	रकबा	वर्किंग ख०न०	हाल खसरा नम्बर
1114	6-16-0	1703	6699 / 8385
			6698 / 8386
			6696 / 8387
		1728	6699
			6697
			6696
		1727	6698
			6697
		1726	6698
			6697
			6696
1113	7-17-0	1703	6699 / 8385
			6698 / 8396
			6696 / 8387
		1728	6699
			6697
			6696
		1727	6698
			6697
		1726	6698
			6696
		1706	6695
911	13-1-10	1705	6665
			6666
			6667
		1693	6688
		1704	6694

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

	1703	6699 / 8385
		6698 / 8386
		6698 / 8387
	1728	6699
		6696
		6697
	1727	6698
		6697
		6697
	1726	6698
		6697
		6696
	1706	6695
	1692	6689
		6690
		6691
		6692
		6669
		6670
		6671
		6672
		6789 / 8388
		6790 / 8389
		6791 / 8390
		6792 / 8391
	1705	6665
		6666
		6667
	1694	6787 (चाह)

उपरोक्त आराजी का हाल जमाबंदी अनुसार विवरण निम्न प्रकार है :-

खाता संख्या नया/पुरना	खसरा नम्बर	रकबा
244 / 183	6696	0.52
	6697	0.54
	6698	0.37
	6699	0.17
479 / 350	6696 / 8387	0.13
	6698 / 8386	0.13
	6699 / 8385	0.13
480 / 351	6695	0.65
476 / 349	6253 / 8392	0.06
	6253 / 8562	0.10
	6367	0.29
	6368	0.18
	6688	0.05

उपरोक्त जमाबंदी
नमोराज्य (अ.स.स.)

	6694	0.19
477 / 348	6669	0.20
	6670	0.20
	6671	0.16
	6672	0.14
	6687	0.04
	6689	0.07
	6690	0.07
	6691	0.10
	6692	0.20
	6789 / 8388	0.01
	6790 / 8389	0.01
	6791 / 8390	0.01
	6792 / 8391	0.01

चौसाला खसरा नम्बर 1117 रकबा 6-16-0 व खसरा नम्बर 1113 रकबा 7-17-0 की भूमि जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 6.5.1958 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के दादा लक्ष्मीचन्द उर्फ लक्ष्मण पुत्र लादू उर्फ लादूराम व अमरती उर्फ अमरी पत्नी बिहारीलाल स्वयं व ना.बा. पुत्र मदनलाल पुत्र बिहारीलाल वाल्दा अमरी उर्फ अमरती व कजोडीमल पुत्र बालूराम समस्त जाति कुमावत नि० श्रीनगर से बोदू पुत्र सूजा उर्फ सुरजा वादी संख्या 1 व 2 के पिता व शेष वादीगण के दादा व परदादा के द्वारा कय की गयी थी। चौसाला जमाबंदी में सहवन से मदनलाल व बिहारीलाल अंकित कर दिया जबकि सही इन्द्राज मदनलाल पुत्र बिहारीलाल है। चौसाला खसरा नम्बर 1114 रकबा 6-16-0 की आराजी अंतिम चौसाला जमाबंदी में बोदू पुत्र सुजा के नाम दर्ज कर दी गई परन्तु आधार जमाबंदी में त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 से 27 के नाम दर्ज कर दी। अतः वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में अंकित भूमि चौसाला खसरा नम्बर 1113 व 1114 में हाल खसरा नम्बर में 2-5-0 भूमि छोड़कर अर्थात् 0.35 रकबा (खसरा नम्बर 6697 रकबा 0.15 व 6698/8429 रकबा 0.20) को छोड़कर 12-08-10 का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे।

पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 16.5.69 के अनुसार चौसाला खसरा नम्बर 911 रकबा 13-01-10 में से रकबा 07-07-0 की भूमि खातेदार दाना व माना पि० लाला रावत से बोदू पुत्र सूजा उर्फ सुरजा वादी संख्या 1 व 2 के पिता व शेष वादीगण के दादा व परदादा के द्वारा कय की गयी थी। परन्तु माना व दाना पि० लाला के वारिस प्रतिवादी संख्या 4 से 23 को वंकिंग खसरा नम्बर 1705 रकबा 6-1-0 के आधार खसरा नम्बर 6665, 6666, 6667 की भूमि आपसी बाह्मी समझौते के अनुसार प्रतिवादी संख्या 4 से 23 को दी गयी तथा वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में अंकित चौसाला खसरा नम्बर 911 का कुल रकबा 13-01-10 में से रकबा 7-7-0 के खातेदार वादीगण को वाद पत्र की पैरा संख्या के अनुसार आधार जमाबंदी के खसरा नम्बर 6665, 6666 व 6667 में से 1/8 हिस्सा वादी संख्या 9 से 12 के पिता भागचन्द के द्वारा सोहन पुत्र दाना जो प्रतिवादी नम्बर 4 है से जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 23.11.93 को अन्य खसरा नम्बर के साथ वंकिंग खसरा नम्बर 1705 रकबा 6-1-0 में से 1/8 हिस्सा अलग से जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र के खरीद की गई इस कारण आधार खसरा नम्बर 6665, 6666 व 6667 कुल रकबा 6-1-0 में से 1/8 हिस्से का खातेदार वादी संख्या 9 से 12 को घोषित किया जावे। एवं आधार खसरा नम्बर 6665, 6666 व 6667 में से 7/8 हिस्से का खातेदार प्रतिवादी संख्या 5 से 23 को घोषित किया जावे। इसी अनुसार विभाजन किया जावे।

पंजीबद्ध बेनामा दिनांक 23.1.93 के अनुसार प्रतिवादी नम्बर 4 सोहन पुत्र दाना से रेशमा, पप्पू भागचन्द पि. परसा के द्वारा अन्य भूमि के साथ वंकिंग खसरा नम्बर 1694 के


 उपखण्ड अधिकारी
 नसीरावाद (अजमेर)

आधार खसरा नम्बर 6687 रकबा 0.04 चाह में से 1/4 हिस्सा तथा वंकिंग खसरा नम्बर 1692 के आधार खसरा नम्बर 6689, 6690, 6691, 6692, 6669, 6670, 6671, 6672, 6789/8388, 6790/8389, 6791/8390 व 6792/8391 में से 1/4 हिस्सा खरीद की गयी। भागचन्द का स्वर्गवास हो चुका है तथा वंकिंग खसरा नम्बर 1692 रकबा 7-7-0 व खसरा नम्बर 1694 रकबा 0-4-0 चाह का पंजीबद्ध बैनामा दिनांक 17.12.93 की पालना में रेशमा, भागचन्द, व पप्पू पि0 परसा के पक्ष में 1/4 हिस्सा का नामान्तरण नम्बर 31-बी दिनांक 16.9.98 को स्वीकृत किया गया। किन्तु आधार जमाबंदी में इन्द्राज नहीं किया गया इस कारण वादी संख्या 9 से 12 को खातेदार घोषित किया जावे। वंकिंग खसरा नम्बर 1692 के आधार खसरा नम्बर में से 1/4 हिस्सा का बंटवारा वादी संख्या 9 से 12 व शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 से 23 के पक्ष में किया जाना वांछित है।

वर्तमान आधार खसरा नम्बर 6697 जो कि हाल खसरा नम्बर 6692/8561 व 6687 चाह के मध्य स्थित है किन्तु आधार नक्शे में 6694 के स्थान पर 6697 अंकित कर दिया है जबकि आधार नक्शे में 6692/8561 व 6687 चाह के मध्य हाल खसरा नम्बर 6697 के स्थान पर 6694 की दुरुस्ती वांछित है।

आधार जमाबंदी के खाता संख्या 1100 में खातेदार बोदू पुत्र सुजा के बजाय मोडा पुत्र सूजा गलत अंकित कर दिया है जिसे दुरुस्त किया जावे। उक्तानुसार वाद पत्र में अंकित आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे हैं व अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः वादीगण को आराजी मुतनाजा का खातेदार घोषित किया जावे। विधिवत विभाजन किया जावे। नक्शा व नाम के त्रुटिपूर्ण अंकन को दुरुस्त किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि जवाबकर्ता के पूर्वजों द्वारा वादीगण/पूर्वजों को कभी भी किसी भी भूमि का बैचान नहीं किया है। ना ही आराजी मुतनाजा का कब्जा सभंलाया गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र कूटरचित है। अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे। शेष प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

वाद पत्र व जवाब के आधार पर प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :-

1. आया आराजी मुतनाजा वादीगण के पूर्वजों की विधिक कयशुदा है ?

— वादी

2. आया वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादीगण बंटवारा प्राप्ति व इन्द्राज दुरुस्ती के अधिकारी हैं ?

— वादी

3. अनुतोष ?

वाद विचारण के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरुद्ध विधिवत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी तथा मृत पक्षकारान के वारिस रेकार्ड पर लिये गये। की मृत्यु होने के कारण उनके वारिस रेकार्ड पर लिये गये। वाद विचारण के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 से 6/वारिस के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख, विक्रय पत्र पेश किये व वादी छोटू व गवाह नारायण का शपथ पत्र पेश किया। ।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-

तनकी संख्या 1 :-

वादी का कथन है कि वाद पत्र की में अंकित आराजी वादीगण के पूर्वजों की विधिक कयशुदा है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का कथन है कि विक्रय पत्र फर्जी



Any
उपायुक्त अधिवक्ता
नलीरावाद (अजमेर)


है। वादीगण द्वारा वाद के समर्थन में विक्रय पत्र दिनांक 24.5.69, 16.6.58 व 17.12.93 प्रस्तुत किया है। उक्त विक्रय पत्र पंजीकृत है जिनकी सत्यता से इंकार नहीं किया जा सकता है। विक्रय पत्र अनुसार आराजी मुतनाजा भिन्न-भिन्न विक्रय पत्र व दिनांक को वादीगण के पूर्वज द्वारा क्रय की गयी। चौसाला खसरा नम्बर 1114 व 1113 की आराजी वादी के पूर्वज बोदू पुत्र सुर्जा द्वारा लक्ष्मीचन्द पुत्र लादूराम, अमरती पत्नी बिहारीलाल, कजोडीमल पुत्र बालूराम से क्रय की। चौसाला खसरा नम्बर 911 की आराजी वादी के पूर्वज बोदू पुत्र सुर्जा द्वारा दाना, माना पि० लाला से क्रय की। इसी प्रकार वंकिंग खसरा नम्बर 1692, 1694 व 1705 की आराजी रेशमा, भागचन्द, पप्पू पि० परसा ने सोहन पुत्र दाना से क्रय की तथा पूर्व में नामान्तकरण संख्या 61 से विक्रता के स्थान पर क्रेता का नाम वंकिंग जमाबंदी में अंकित किया गया। तत्कालीन राजस्व अभिलेख में विक्रय की गयी आराजी विक्रेता के नाम दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 जवाब पेश करने के बाद प्रकरण में अनुपस्थित रहे। उनके द्वारा जवाब के समर्थन में कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नहीं किये गये। शेष प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे। विक्रय पत्र व सलंगन दस्तावेज के अनुसार आराजी मुतनाजा विधिक क्रयशुदा सिद्ध होती है। तनकी बहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :-

तनकी संख्या 1 के विवेचन के अनुसार आराजी मुतनाजा वादीगण के पूर्वज की क्रयशुदा है। वंकिंग खसरा नम्बर 1692, 1694 व 1705 जरिये नामान्तकरण तत्कालीन राजस्व अभिलेख में क्रेता के नाम अंकित की गयी थी। हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी व अन्य आराजी त्रुटिपूर्ण तरीके से क्रेतागण/वादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गयी। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र व राजस्व अभिलेख से हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्ध होता है। वादीगण वाद पत्र में अंकित खसरा नम्बर अनुसार खातेदारी व विभाजन प्राप्ति के अधिकारी है।


वादीगण ने अपने वाद में कथन किया है कि खाता नम्बर 1100 में बोदू पुत्र सुजा का नाम गलती से मोड पुत्र सुजा अंकित कर दिया है जिसे दुरुस्त किया जावे। खाता संख्या 1100 में अंकित खसरा नम्बर 6963 रकबा 0.18 मोडा पुत्र सुजा व हजारी पुत्र रोडा के नाम अंकित है। वादी द्वारा हाल खसरा नम्बर 6963 का मिलान प्रस्तुत नहीं किया है ना ही यह स्पष्ट किया है कि उक्त खसरा नम्बर के साबिक खसरा नम्बर क्या है। इस कारण हाल जमाबंदी में अंकित इन्द्राज को त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। इसी प्रकार वादीगण ने वाद में कथन किया है कि हाल राजस्व मानचित्र में खसरा नम्बर 6697 के स्थान पर 6694 अंकित किया जावे। हाल खसरा नम्बर 6694 के वंकिंग खसरा नम्बर 1704 व हाल खसरा नम्बर 1726, 1727 व 1728 बने हैं। वादीगण द्वारा वंकिंग खसरा नम्बर 1704, 1726, 1727 व 1728 का साबिक राजस्व मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया है। जिसके अभाव में हाल राजस्व मानचित्र में अंकित खसरा नम्बर 1694 व 1697 को त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। उक्तानुसार वादीगण आराजी मुतनाजा पर खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है। किन्तु हाल खसरा नम्बर 6963 पर नाम दुरुस्ती व खसरा नम्बर 6694 व 6697 पर नक्शा दुरुस्ती के अधिकारी नहीं है। तनकी संख्या 2 आंशिक रूप से बहक वादी निर्णित की जाती है।

अतः वादी का वाद "आंशिक स्वीकार" किया जाता है। ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 6696 रकबा 0.52, 6697 रकबा 0.54, 6698 रकबा 0.37, 6699 रकबा 0.17, 6695 रकबा 0.65, 6694 रकबा 0.19, 6696/8387 रकबा 0.13, 6698/8386 रकबा 0.13, 6699/8385 रकबा 0.13 का खातेदार वादीगण को घोषित किया जाता है। हाल खसरा नम्बर 6687 रकबा 0.04, में 1/4 हिस्से का खातेदार वादी संख्या 9 से 12 को व शेष हिस्से का खातेदार प्रतिवादी संख्या 5 से 23 को घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद


 उपखण्ड अधिकारी
 नसीराबाद (अजमेर)

उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की डिक्री जारी हो।
निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद



डिक्री व मुकदमें इत्बाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

छोटू बनाम कैलाश

दावा बाबत :- 88, 188, 91, 92ए, 53 राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर - 111/2011
पेश करने की दिनांक - 15.06.2011

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक नौरतमल जेन मुद्दई अभिभाषक जितेन्द्र गुर्जर व राज० पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

वादी का वाद "आंशिक स्वीकार" किया जाता है। ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 6696 रकबा 0.52, 6697 रकबा 0.54, 6698 रकबा 0.37, 6699 रकबा 0.17, 6695 रकबा 0.65, 6694 रकबा 0.19, 6696/8387 रकबा 0.13, 6698/8386 रकबा 0.13, 6699/8385 रकबा 0.13 का खातेदार वादीगण को घोषित किया जाता है। हाल खसरा नम्बर 6687 रकबा 0.04, में 1/4 हिस्से का खातेदार वादी संख्या 9 से 12 को व शेष हिस्से का खातेदार प्रतिवादी संख्या 5 से 23 को घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।



उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक _____ को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 13 माह 5 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुद्दई

मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मिजान

मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद